न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. : 59/2017

अनवान :

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति सुथार पेशा खेती निवासी कालवास तहसील तारानगर हाल आबाद चक 9 बीएचडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थी

बनाम

1. गायत्रीदेवी पत्नि चन्द्रशेखर जाति सुथार निवासी चक 9 बीएचडी भादरा तहसील भादरा।
2. आरएमजीबी बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी बैंक शाखा भादरा।
3. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा (वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक)
4. तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत : रास्ता स्वीकृति

अन्तर्गत धारा 8(2) राज0जनरल कॉलोनी एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग **: प्रार्थी**

वकील श्री योगेश शर्मा **: अप्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक :** 19.4.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा चक 9 बीएचडी के खाता सं0 21/230 के मु0नं0 5 के किला नं0 15 की 0.253 है0 मु0नं0 6 के किला नं0 10, 11, 12 की कुल 0.759 है0 मु0नं0 36 के किला नं0 18/2 की 0.063 है0 किला नं0 19, 20 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 1.581 है0 नहरी खातेदारी प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की कृषि भूमि के चिपते हुवे चक 9 बीएचडी के खाता सं0 31/188 के मु0नं0 6 के किला नं0 1 की 0.253 है0 किला नं0 2 की 0.240 है0 जिसमें नहरी 0.215 है0 एवं 0.025 है0 रास्ता कुल 0.493 है0 भूमि अप्रार्थीया गायत्री के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीया गायत्री के मु0नं0 6 के किला नं0 1 में से किला के पश्चिमी और पत्थर लाइन के पास पास उत्तर से दक्षिण होते हुवे आवागमन करता आ रहा है। प्रार्थी उक्त रास्ते को सदामत से उपयोग उपभोग मे लेता आ रहा है उक्त

रहा है। प्रार्थी उक्त रास्ता को सदामत से उपयोग उपभोग मे लेता आ रहा है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए उक्त रास्ता सबसे अधिक सुगम एवं सरल रास्ता है परन्तु उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थीया गायत्रीदेवी उक्त रास्ता को बन्द कर प्रार्थी के आवागमन को बन्द करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीया गायत्रीदेवी की चक 9 बीएचडी के खाता सं0 31/188 के मु0नं0 6 के किला नं0 1 की 0.253 है0 भूमि में किला के पश्चिमी तरफ एक बिस्वा रास्ता जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है को स्वीकृत किया जाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का प्रार्थी मजाज कानूनी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन के लिए अन्य रास्ता मौजूद है जिससे प्रार्थी कृष्ण कुमार सदामत से अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध है, इसलिए प्रार्थी अपनी मजमर्जी मुताबिक रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी कृष्ण ने यह प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीया को तंग परेशान करने के लिए पेश किया है। प्रार्थी न्यायालय हाजा में क्लिन हैण्ड नहीं आया है, ना ही प्रार्थी कृष्ण कुमार को आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता है। अन्य अप्रार्थीगण राजस्थान सरकार व राजस्थान सरकार की संस्थाएं है जिनके विरूद्ध आवेदन पेश करने से पूर्व कानूनन धारा 80सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक था, इसके अभाव में भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने स्वयं की कृषि भूमि में पहूचने के लिए मु0नं0 6 के किला नं0 1 में रास्ता स्वीकृत नहीं है जिसे स्वीकृत फरमाया जावे अन्य कोई रास्ता नहीं है। रास्ता मौके पर चालू है जिसे स्वीकृत फरमााय जावे।

वकील अप्रार्थी का कथन है कि राज्य सरकार को 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की भूमि में से कभी भी आवागमन नहीं किया है। तंग व परेशान करने के लिए बिना सुगम के आवेदन किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। मु0नं0 5 व 6 के किला नं0 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता है। स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की कृषि भूमि मात्र 1 बीघा दूरी पर है किला नं0 1 अप्रार्थीया का है। तहसीलदार भादरा आवश्यक पक्षकार नहीं तथा न ही सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में पहूंचने के लिए रास्ता की अत्यंत आवश्यकता है। विकल्प के तौर पर कोई रास्ता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट तथा सपठित धारा 251(ए) आरटीए का स्वीकार किया जाता है तथा चक 9 बीएचडी के मु0नं0 6 के किला नं0 1 के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर एक बिस्वा कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता की एवज में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के मु0नं0 6 के किला नं0 10 में उतरी तरफ के किला नं0 1 के चिपते हुए 1 बिस्वा भूमि कम की जाकर अप्रार्थीया सं0 1 के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ......19.4.18...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ